BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

O.A. No. 1335 of 2024

IN THE MATTER OF:

Hemant Singh Gonia …Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors. …Respondents

INDEX

S. No.	Particulars	Pg. No.
1.	Respondent Affidavit on behalf of Respondent No. 1.	1 - 12
2.	**Annexure R1** Copy of the letter dated 12.03.2025 bearing number 191/XXXVIII-1-2025-15(01)2025 sent by Respondent No. 1	13
3.	**Annexure R2** Copy of the letter dated 04.04.2025 bearing number 142/23- Local Body/2024-25 received from Respondent No. 2	14 - 18
4.	**Annexure R3** Copy of the letter dated 01.04.2025 received from Respondent No. 3	19
5.	**Annexure R4** Copy of the letter 07.04.2025 bearing number 1113/26-3/2024-25 received from Respondent No. 4	20 - 22
6.	**Annexure R5**	23

	Copy of the letter dated 03.04.2025 bearing number UKPCB / ROH/Writ/25/ 27-07 received from Respondent No. 5.	

THROUGH COUNSEL

Place: Dehradun, Uttarakhand

Date: 15.04.2025

ADARSH CHAMOLI
Counsel For Respondent No. 1
5, Lawyers' Chamber Block-I,
Delhi High Court, New Delhi – 110003
Mobile: 8375955697
Email: adarshchamoli93@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

O.A. No. 1335 of 2024

<u>IN THE MATTER OF</u>:

Hemant Singh Gonia ...Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors. ...Respondents

<u>RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 1</u>

Most Respectfully Showeth:

I, Kahkashan Naseem, aged about 44 years, D/o Late Shri Abdul Sattar Ansari, presently posted as Additional Secretary, Department of Environment Conservation and Climate Change, Government of Uttarakhand, Dehradun

(Deponent)

I, the above name deponent, do hereby solemnly affirm and stated as here under:

1. That the deponent is presently posted as Additional Secretary, Department of Environment Conservation and Climate Change,

Government of Uttarakhand, Dehradun i.e. Respondent No. 1 in the present matter as such she is fully conversant with the facts of the case and competent to swear the present Affidavit.

2. That the present matter pertains to allegations of contamination of Naini lake from the side of Nani temple and taking cognizance of the said allegations levelled by the Applicant, this Hon'ble Tribunal, vide its order dated 02.12.2024 passed in the present matter, has directed for inspection of the issue by way of a joint committee comprising of Uttarakhand Pollution Control Board, Central Pollution Control Board and the Commissioner, Nainital.

3. That in compliance of the said order dated 02.12.2024 a report dated 03.01.2024 and subsequently the updated report dated 21.01.2024 was filed on behalf of the Commissioner, Nainital. Subsequently, this Hon'ble Tribunal, took cognizance of the aforesaid reports and vide its order dated 25.02.2025, impleaded various government departments including Respondent No. 1 to file their appropriate response to the contents of the aforesaid report.

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2002 10-12-22 to 09-12-27 GOVT. OF UTTARAKHAND

4. That the Respondent No. 1, vide its letter dated 12.03.2025 bearing number 191/XXXVIII-1-2025-15(01)2025 had enquired from Respondent No. 2, Respondent No. 3 and Respondent No. 4 about the actions that have been taken by them in pursuance of the updated

report dated 21.01.2024. Copy of the letter dated 12.03.2025 bearing number 191/XXXVIII-1-2025-15(01)2025 is annexed as **Annexure R1**.

5. That in response to the aforesaid letter dated 12.03.2025, Respondent No. 1 had received a reply from Respondent No. 2 vide its letter dated 04.04.2025 bearing number 142/23- Local Body/2024-25, from Respondent No. 3 vide its letter dated 01.04.2025, from Respondent No. 4 vide its letter dated 07.04.2025 bearing number 1113/26-3/2024-25 and Respondent No. 5 vide its letter dated 03.04.2025 bearing number UKPCB / ROH/Writ/25/ 27-07.

6. That Respondent No. 2, 3 and 4 submitted their detailed replies which can be summarized as follows:

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2002 10-12-22 to 09-12-27 GOVT. OF UTTARAKHAND

a. Reply from Respondent No. 2 i.e. District Magistrate, Nainital:

Respondent No. 2 collected data from four different departments i.e. Uttarakhand Jal Sansthan, Nainital, State Pollution Control Board, Haldwani and Municipal Council, Nainital the details of which are as under:

i. That the Executive Engineer, Uttarakhand Jal Sansthan Nainital:

1. That vide its letter No. 654/ Naini Sewer/ 15 dated 29.03.2025, it has been intimated that Nainital Urban Sewerage Scheme under Nainital District is under the safeguarding of Uttarakhand Jal Sansthan, Nainital, Irrigation Division, Nainital and in case of sewerage overflow, the Department gets it repaired instantly from time to time under the said scheme. It has been further informed that at present, under Nainital Urban Sewerage Scheme, 600 meter sewer line needs to be replaced as the 150 and 200 mm diameter sewer lines are very old and dilapidated in areas like Ramleela Ground Mallital, Staff House, Tara Lodge, Royal Hotel Compound, SSP Office, BD Pandey Hospital, Oak Lodge, Zoo Road Tallital etc. Apart from this, construction of 37 old damaged sewer manhole chambers and repair of 83 old sewer manholes and raising of covered sewer manhole chambers to the road level etc. in different places of the said areas under Nainital City, 5.80 km sewer line of 150 to 300 MS diameter and silt cleaning of 380 city sewer manhole chambers are to be done instantaneously. For carrying out the requisite task, a sanction of Rs 73.66 lakh has been given for expenditure by the Government of Uttarakhand

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District/
Reg.No. 19(01)2002
10-12-22 to 09-12-27
GOVT. OF UTTARAKHAND

vide Government Order No. 271429/2024 E-79778/2024, Drinking Water and Sanitation Section-2 Dehradun dated 30.01.2025. and an amount of Rs 44.196 lakh has already been released as the first installment in the financial year 2024-25 and the e-tender process is in progress in relation to the said consent.

2. Additionally, after conducting a comprehensive assessment of the works like replacement of old sewer lines, sewer manhole chambers, under size sewer pipe lines laid for 30-40 years in Nainital city and connecting the residual buildings in Nainital city to sewer lines, a Detailed Project Report ("DRP") of Rs. 109.00 crore has been prepared by Uttarakhand Drinking Water Corporation, Construction Branch Bhimtal. After getting the works provided in the said DPR done, the sewerage system will be strengthened in the entire Nainital city.

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.(9(01)2002
10-12-22 to 09-12-27
GOVT. OF UTTARAKHAND

ii. <u>The Executive Engineer, Irrigation Division, Nainital</u>:

That vide its letter dated 29.03.2025 bearing No. 625/SIkhNai/NGT, it has been informed that safeguarding of sewerage line in the city of Nainital is being completed by Jal Sansthan, Nainital and the essential action for efficient

prevention of the same is also done at the level of Jal Sansthan, Nainital.

iii. The Regional Officer, Pollution Control Board Haldwani

That vide its letter dated 03.04.2025 bearing number UKPCB / ROH/Writ/25/ 27-07 it was stated that sample collection/analysis of Nainital Lake is done by the office on journal basis. Such analysis reports are uploaded on the Board's website on a monthly basis. Apart from this, the Board is also carrying out sample collection / analysis of water quality of Drain No. 23 and Nainital lake by way of a third party recognized laboratory, in terms of the guidelines of the *amicus curiae* appointed by this Hon'ble Tribunal in O.A. No. 518 of 2022 tiled as Vivek Verma Vs. Government of Uttarakhand.

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2002 10-12-22 to 09-12-27 GOVT. OF UTTARAKHAND

iv. The Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Nainital (Municipal Council, Nainital), vide its letter dated 03.04.2025 bearing No. 58/XV-2 (a), had informed about the data of action on solid waste management as under:

1. The population of 41377 resides in 11.46 sq km area in entire 15 Wards under Nagar Palika Parishad, Nainital

area. A total of 17-20 tonnes of waste is produced daily in the 115 wards, which is sent every day to Trenching Ground Gaulapar Haldwani for disposal through garbage vehicles such as dumpers, compactors. It is also to be informed that there is no dumping site within Nainital city area.

2. For smooth performance of the cleaning system in Nainital 01 supervisor and 05 personnel have been deployed under the Municipal Council, Nainital area. Out of this, 03 personnel to clean the lake towards Tallital area and 02 personnel to clean the lake towards Mallital area.

3. The process of setting up the following machines for waste disposal by Nagar Palika Parishad, Nainital is underway under the project titled as "A Multidimensional Remediation and Innovative Tailoring of Materialistic Waste (AMRITRAM): Innovative Approach for the Collection, Segregation and Upcycling of Solid Waste" being funded by National Mission on Himalaya Studies **(NMHS)**,:-

   a. 03 Trommel machines for segregation of mix waste.

   b. 02 composting machines for waste to compost work.

c. 01 waste to fuel plant for turning plastic waste into furnace oil.

d. 01 fatka machine for polythene cleaning.

e. 01 shredder machine for shredding plastic waste into small pieces.

On 09 January, 2025 in relation to the aforesaid, an Agreement has been formed between Municipal Council, Nainital and Municipal Corporation, Haldwani.

4. Municipal Council, Nainital has installed 40 (Twin Bin) dustbins of 50 liters each for wet and dry garbage at different places such as Mall Road, Municipal limits, market area and different wards to get better the good sanitation system. The dustbins will be used by the general public and tourists at the respective places, which will resolve the problem of redundant garbage spread here and there.

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.15(01)2002
10-12-22 to 09-12-27
GOVT. OF UTTARAKHAND

5. For violating the "Uttarakhand Littering and Spitting Prohibition Act-2016", challan action is being taken by the Municipality against the concerned persons.

6. For installing CCTV cameras for monitoring at public places / roads / garbage collection sites, after survey under

the body, cameras are being installed and monitored at the main places selected for monitoring those throwing garbage in the open, such as, close to Mallital State Bank of India, Mall Road Kennedy Park and at the beginning of Thandi Sadak and the process of installing CCTV cameras at additional 36 places is also in progress.

7. The Municipal Administration has issued a WhatsApp No. 9149274469 for the convenience of citizens to register complaints connected to garbage collection/disposal along with photographs. In which the general public can register complaints associated to garbage collection/disposal along with photographs. Nagar Palika Parishad, Nainital has prepared a complaint vehicle pickup through which the difficulty is determined on receiving complaints connected to garbage from the public.

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
10-12-22 to 09-12-27
GOVT. OF UTTARAKHAND

8. That to make certain compliance with SWM Rules 2016, Nagar Palika Parishad, Nainital has connected 15 wards under the Municipal Area with door to door garbage consciousness and garbage segregation campaign. The dry garbage preserved in the MRF Centre by Municipal Council, Nainital is referred to the recycling plant.

9. Boards / hoardings with adequate instructions and warnings are installed at public places and main tourist places not to throw garbage in the open and to dispose of garbage in dustbins.

Copy of the letter dated 04.04.2025 bearing number 142/23- Local Body/2024-25 received from Respondent No. 2 is annexed as **Annexure R2**.

b. Respondent No. 3, State Wetland Authority, Dehradun

Respondent No. 3, vide its letter dated 01.04.2025, has informed that the Naini Lake has not yet been notified as a wetland under the Wetland (Conservation and Management) Rules, 2017. It was also advised by Respondent No. 3 that a detailed proposal regarding notifying Naini Lake as a wetland may be send so that examining of the same at the state level can take place.

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2002 10-12-22 to 09-12-27 GOVT. OF UTTARAKHAND

Copy of the letter dated 01.04.2025 received from Respondent No. 3 is annexed as **Annexure R3.**

c. Respondent No. 4 i.e. Divisional Commissioner, Kumaon Division, Nainital

Respondent No. 4 shared details as were received by it from Respondent No. 2 and Respondent No. 5. Such details were

summarised by Respondent No. 4 in its response letter dated 07.04.2025. Copy of the letter 07.04.2025 bearing number 1113/26-3/2024-25 received from Respondent No. 4 is annexed as **Annexure R4**.

d. Respondent No. 5, Uttarakhand State Pollution Control Board

Respondent No. 5 stated that sample collection/analysis of Nainital Lake is done by the office on journal basis. Such analysis reports are uploaded on the Board's website on a monthly basis. Apart from this, the Board is also carrying out sample collection / analysis of water quality of Drain No. 23 and Nainital lake by way of a third party recognized laboratory, in terms of the guidelines of the *amicus curiae* appointed by this Hon'ble Tribunal in O.A. No. 518 of 2022 tiled as Vivek Verma Vs. Government of Uttarakhand. Copy of the letter dated 03.04.2025 bearing number UKPCB / ROH/Writ/25/ 27-07 is annexed as **Annexure R5**

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2002 10-12-22 to 09-12-27 GOVT. OF UTTARAKHAND

7. That the contents of the Affidavit have been prepared under the instructions of the deponent and the same are true and correct and nothing material and has been concealed therefrom.

8. That the deponent undertakes to comply with any further directions that this Hon'ble Tribunal may pass in the present matter.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Dehradun, Uttarakhand on 15 day of April 2025 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2003
10-12-22 to 09-12-27
GOVT. OF UTTARAKHAND

DEPONENT

S. NO = 1785

This affidavit is sworn before me by
Shri..
who is identified by Shri ....
at Dehradun on......................15/4/25

Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary, Dehradun

संख्या–191 /XXXVIII-1–2025–15(01)2025
शीर्ष प्राथमिकता/कोर्ट–केस

प्रेषक,

कहकशां नसीम
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी, नैनीताल।
2. निदेशक, SECCCD/सदस्य सचिव, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

पर्या० संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 12 मार्च, 2025

विषयः– मा.राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या 1335/2024 हेमन्त सिंह गोनिया बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एव अन्य के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा॰राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 25.02.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत मूल वाद संख्या 1335/2024 हेमन्त सिंह गोनिया बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एव अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.02.2025 के अनुपालन में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा॰प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.02.2025 के अनुपालन में अपने–अपने विभाग से सम्बन्धित उक्त वांछित सूचना एक सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रश्नगत प्रकरण अगली सुनवाई दिनांक 17.04.2025 को नियत होने के दृष्टिगत आपका व्यक्तिगत ध्यान भी अपेक्षित है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीया,

(कहकशां नसीम)
अपर सचिव

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

सेवा में,

अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
पर्या0 संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग,
देहरादून।

संख्याः 142 /23–स्थानीय निकाय / 2024–25 दिनांक 04 अप्रैल, 2025

विषय :– **मा. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में याजित मूल वाद संख्या 1335 / 2024 हेमन्त सिंह गौनिया बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में।**

––00––

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–191 / XXXVIII-1-2025-15(01)2025 दिनांक 12 मार्च, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या–1335 / 2024, हेमन्त सिंह गौनिया बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25.02.2025 के अनुपालन में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करते हुए वांछित सूचना एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

उक्तानुसार उत्तराखण्ड जल संस्थान, नैनीताल, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी एवं नगर पालिका परिषद्, नैनीताल से प्राप्त आंख्या / सूचना निम्नानुसार हैः–

<u>**1– अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान नैनीताल–**</u> द्वारा अपने पत्र संख्या 654 / नैनी सीवर / 15 दिनांक 29.03.2025 से अवगत कराया है कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत नैनीताल नगरीय सीवरेज योजना उत्तराखण्ड जल संस्थान, नैनीताल के अनुरक्षण में है। उक्त सीवर योजना में सीवरेज ओवरफलो होने की दशा में विभाग द्वारा समय–समय पर तत्काल सही कराया जाता है। वर्तमान में नैनीताल नगरीय सीवरेज योजना के अन्तर्गत रामलीला ग्राउण्ड मल्लीताल, स्टाफ हाउस, तारा लॉज, रॉयल होटल कम्पाउण्ड, एस0एस0पी0 ऑफिस, बी0डी0 पाण्डे हॉस्पिटल, ओक लॉज, जू रोड तल्लीताल इत्यादि क्षेत्रों में 150 तथा 200 एम0एम0 व्यास की सीवर लाईनें अत्यधिक पुरानी एवं जीर्ण–क्षीर्ण होने के कारण 600 मीटर सीवर लाईन बदली जानी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त नैनीताल नगर के अन्तर्गत उक्त क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों में 37 नग पुराने क्षतिग्रस्त सीवर मैनहोल चम्बरों का निर्माण तथा 83 नग पुराने सीवर मैनहोलों की मरम्मत एवं दबे हुए सीवर मैनहोल चैम्बरों को मार्ग की सतह तक ऊँचा उठाये जाने इत्यादि कार्य, 150 से 300 एम0एस0 व्यास की 5.80 किलोमीटर सीवर लाईन व 380 नगर सीवर मैनहोल चैम्बरों की सिल्ट सफाई तत्काल करायी जानी है। **जिस हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश सं0–271429 / 2024 ई0–79778 / 2024 पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 30 जनवरी, 2025 से जनपद नैनीताल की नैनीताल शाखा के अन्तर्गत सीवर योजना के सुदृढ़ीकरण कार्यों की योजना की विभागीय टी0एस0सी0 द्वारा परीक्षित / संस्तुत कुल लागत रू0 81.31 लाख में से सेंटेज की धनराशि को कम करते हुए रू0 73.66 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रथम किश्त के रूप में रू0 44.196 लाख (रू0 चवालीस लाख उन्नीस हजार छः सौ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु स्वीकृत प्रदान की गयी है** और उक्त स्वीकृति के सापेक्ष ई–निविदा प्रकिया गतिमान है।

उपरोक्त के अतिरिक्त नैनीताल नगर के अन्तर्गत 30–40 वर्ष से बिछी हुई पुरानी सीवर लाईन, सीवर मैनहोल चैम्बर, अन्डर साईज सीवर पाईप लाईन को बदला जाना तथा नैनीताल नगर में छूटे हुए भवनों को सीवर लाईनों से जोड़े जाने इत्यादि कार्यों का विस्तृत सर्वे करने के उपरान्त उत्तराखण्ड पेयजल निगम, निर्माण शाखा भीमताल द्वारा धनराशि रू0 109.00 करोड़ की डी0पी0आर0 तैयार की गई है। उक्त डी0पी0आर0 में प्राविधानित कार्य कराये जाने के उपरान्त सम्पूर्ण नैनीताल नगर में सीवरेज व्यवस्था सुदृढ़ हो पायेगी। (अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान नैनीताल एवं शासन के पत्र दिनांक 30.01.2025 की प्रति संलग्न)

2– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड नैनीताल– द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 625/सिंखनै/एन0जी0टी0/ दिनांक 29 मार्च, 2025 से अवगत कराया है कि नैनीताल शहर में सीवर लाईन के रख–रखाव का कार्य जल–संस्थान द्वारा किया जा रहा है, उक्त पर प्रभावी रोक–थाम हेतु आवश्यक कार्यवाही जल संस्थान के स्तर पर सम्भव हो पाएगी।

3– क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी– द्वारा अपने पत्र संख्या UKPCB/ROH/रिट/25/27–07 दिनांक 03 अप्रैल, 2025 से अवगत कराया गया है कि उनके कार्यालय द्वारा नैनीताल झील का नमूना एकत्रण/विश्लेषण मासिक आधार पर किया जाता है। जिसकी विश्लेषण आख्यायें मासिक आधार पर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है, इसके अतरिक्त पूर्व में मा. राष्ट्रीय हरित अधिकारण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–518/2022 विवेक वर्मा बनाम उत्तराखण्ड सरकार में नियुक्त न्यायमित्र के निर्देशानुसार नाला नं0 23 तथा नैनीताल झील की जल गुणवत्ता का नमूना एकत्रण/विश्लेषण तृतीय पक्ष मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा भी किया जाता है। (विशलेषण आंख्या एवं पत्र की प्रति संलग्न)

4– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नैनीताल– द्वारा अपने पत्र संख्या–58/XV-2(a) दिनांक 03.04.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन पर कार्यवाही की आंख्या बिन्दुवार निम्नवत् हैः–

1. नगर पालिका परिषद्, नैनीताल क्षेत्रान्तर्गत कुल 15 वार्डों में 11.46 वर्गकिमी0 क्षेत्रफल में 41377 जनसंख्या निवासरत है। कुल 115 वार्डों में दैनिक रूप से 17–20 टन अपशिष्ट उत्पादित होता है, जिसे प्रतिदिन कूड़ा वाहनों यथा डम्पर, कॉम्पेक्टर के माध्यम से निस्तारण हेतु ट्रंचिंग ग्राउण्ड गौलापार हल्द्वानी भेजा जाता है, यह भी अवगत करना है कि नैनीताल नगर क्षेत्रान्तर्गत कोई भी डंपिंग स्थन नहीं है।
2. नगर पालिका परिषद्, नैनीताल क्षेत्रान्तग्रत नैनीझील में सफाई व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु 01 सुपरवाईजर तथा 05 कार्मिकों की तैनाती की गयी है। इसमें से 03 कार्मिकों द्वारा तल्लीताल क्षेत्र की ओर तथा 02 कार्मिकों द्वारा मल्लीताल क्षेत्र की ओर झील की सफाई की जाती है।
3. नगर पालिका परिषद्, नैनीताल क्षेत्रान्तर्गत प्रतिवार्ड एकत्रित होने वाले अपशिष्ट की मात्रा निम्नानुसार हैः–

कमांक	वार्ड का नाम	जनसंख्या	प्रतिदिन उत्पादित अपशिष्ट की मात्रा (टन में)
1	स्टाफ हाउस	3128	1.25
2	शेर का डांडा	3481	1.39
3	राजभवन	3172	1.27
4	हरिनगर	2409	0.96
5	स्नोव्यू	3072	1.23
6	नारायण नगर	2524	1.01
7	सूखाताल	3384	1.35
8	अयारपाटा	2482	0.99
9	अपरमाल	3364	1.35
10	नैनीताल क्लब	2623	1.05
11	श्री कृष्णापुर	2317	0.93
12	सैनिक स्कूल	2241	0.90
13	आवागढ़	2491	0.96
14	मल्लीताल बाजार	2479	0.99
15	तल्लीताल बाजार	2310	0.92
		कुल	16.6

4. नगर पालिका परिषद्, नैनीताल द्वारा Nainital Mission on Himalaya Studies (NMHS). An Innovaative Approach for the collection, Segregation and upcycling of Solid waste अमृतम परियोजना के अन्तर्गत अपशिष्ट निस्तारण हेतु निम्न मशीनें स्थापित की जाने की कार्यवाही गतिमान हैः–
   1- 03 Trommel machines for segregation of mix waste.
   2- 02 composting machines for waste to compost work.
   3- 01 waste to fuel plant for turning plastic waste into furance oil.
   4- 01 fatka machine for polythene cleaning.
   5- 01 shredder machine for shredding plastic waste into small pieces.
   6- 01 incinatior for inciration for RDF.

   उपरोक्त के सम्बन्ध में 09 जनवरी, 2025 को नगर पालिका, नैनीताल तथा नगर निगम हल्द्वानी के मध्य अनुबन्ध गठित हो चुका है।
5. नगर पालिका परिषद्, नैनीताल द्वारा सफाई व्यवस्था दुरूस्त किये जाने हेतु नगर के विभिन्न स्थलों यथा, मालरोड, पालिका सीमाओं, बाजार क्षेत्र तथा विभिन्न वार्डों में 50 लीटर के 40(Twin Bin) गीला एवं सूखा कूड़ा हेतु कूड़ेदान स्थापित किये गये हैं। सम्बन्धित स्थलों में जनसामान्य एवं पर्यटकों द्वारा कूड़ादानों का प्रयोग किया जायेगा जिससे अनावश्यक यत्र–तत्र फैलने वाले कूड़े की समस्या का समाधान होगा।
6. "उत्तराखण्ड कूड़ा फैंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम–2016" का उल्लंघन करने पर सम्बन्धितों के विरूद्ध पालिका द्वारा चालानी कार्यवाही की जा रही है, तथा मार्च, 2025 तक चलानों का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	जनपद का नाम	विगत माह फरवरी, 2025 तक किये गये कुल चालानों की संख्या	माह मार्च, 2025 में किये गये कुल चालानों की संख्या	कुल चालानों की संख्या	विगत माह तक जुर्माने के रूप में वसूल की गयी धनराशि	माह में जुर्माने के रूप में वसूल की गयी धनराशि	जुर्माने के रूप में वसूल की गयी कुल धनराशि	अभयुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	नैनीताल	2311	33	2344	977787	46750	1,02,537	—

उपरोक्त के क्रम में माह जनवरी, 2025 से आतिथि तक खुले में सीवर छोड़ने वालों के 05 चालान करते हुए कार्यवाही की गयी है तथा चुँकि निकाय के पास उत्तराखण्ड कूड़ा फैंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत मात्र रू0 5000/–तक की चालानी कार्यवाही का प्राविधान है। अतः निकाय द्वारा खुले में सीवर छोड़ने वालों की सूचना क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी दी जाती है। (छायाप्रति संलग्न)

7. सार्वजनिक स्थलों/मार्गो/कूड़ा एकत्रीकरण स्थलों पर निगरानी हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरे स्थापित किये जाने हेतु निकाय अन्तर्गत सर्वे उपरान्त चयनित मुख्य स्थलों यथा, मल्लीताल भारतीय स्टेट बैंक के समीप, मालरोड कैनेडी पार्क तथा ठंडी सड़क के प्रारम्भ में खुले में कूड़ा फैकने वालों पर निगरानी हेतु कैमरे स्थापित कर मॉनिटरिंग की जा रही है तथा अतिरिक्त 36 स्थलों पर भी सी0सी0टी0वी0 कैमरे शीघ्र ही स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।
8. पालिका प्रशासन द्वारा कूड़े के एकत्रीकरण/निस्तारण से सम्बन्धित शिकायतों को को मय फोटोग्राफ्स दर्ज करवाने हेतु नागरिकों की सुविधा हेतू एक **व्हाट्सएप नम्बर 9149274469** जारी किया गया है। जिसमें आमजनता कूड़े के एकत्रीकरण/निस्तारण से सम्बन्धी शिकायतों को मय फोटोग्राफ्स दर्ज करवा सकती है। नगर पालिका परिषद्, नैनीताल द्वारा शिकायत वाहन पिकअप (Complaint Vehicle) तैयार की गयी है जिससे जनता द्वारा कूड़े से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त होने पर समस्या का निस्तारण किया जाता है।

9. नगर पालिका परिषद्, नैनीताल द्वारा एस0डब्ल्यूएम0 नियम 2016 के अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत पालिका द्वारा 15 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा जागरूकता एवं कूड़ा पृथक्कीकरण अभियान से जोड़ा गया है। नगर पालिका परिषद्, नैनीताल द्वारा एम0आर0एफ0 सेंटर में संरक्षित सूखे कूड़े को रिसाईकिलिंग प्लान्ट में भेजा जाता है।
10. सार्वजनिक स्थानों व मुख्य पर्यटक स्थलों पर कूड़ा खुले में न डालने व कूड़ादान में ही कूड़े का निस्तारण करने के पर्याप्त निर्देश व चेतावनी युक्त बोर्ड/होर्डिंग स्थापित हैं।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.02.2025 के अनुपालन में उक्तानुसार विभागों द्वारा प्रस्तुत आंख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः— **यथोपरि।**

भवदीय,

(फिंचा राम चौहान)
अपर जिलाधिकारी,(वि0/रा0)
नैनीताल।

प्रतिलिपिः—

1. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को उनके पत्र संख्या 958/छब्बीस—3/2024—25 दिनांक 17 मार्च, 2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल, मा. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, प्रिन्सपल बैंच, नई दिल्ली को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. श्री आर्दश चमोली, पैनल एडवोकेट, चैम्बर नं0—5, लॉयर चैम्बर्स, ब्लॉक—1 दिल्ली हाई कोर्ट, नई दिल्ली, पिन—11001 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्तानुसार तथ्यों से मा. प्राधिकरण को अवगत करवाते हुए प्रकरण का निस्तारण करवाये जाने का कष्ट करें।
4. सदस्य सविच, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
5. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली।

अपर जिलाधिकारी,(वि0/रा0)
नैनीताल।

9. नगर पालिका परिषद, नैनीताल द्वारा एस0डब्ल्यूएम0 नियम 2016 के अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत पालिका द्वारा 15 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा जागरूकता एवं कूड़ा पृथक्कीकरण अभियान से जोड़ा गया है। नगर पालिका परिषद, नैनीताल द्वारा एम0आर0एफ0 सेंटर में संरक्षित सूखे कूड़े को रिसाईकिलिंग प्लान्ट में भेजा जाता है।
10. सार्वजनिक स्थानों व मुख्य पर्यटक स्थलों पर कूड़ा खुले में न डालने व कूड़ादान में ही कूड़े का निस्तारण करने के पर्याप्त निर्देश व चेतावनी युक्त बोर्ड/होर्डिंग स्थापित हैं।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.02.2025 के अनुपालन में उक्तानुसार विभागों द्वारा प्रस्तुत आंख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

संलग्नः– **यथोपरि।**

(फिंचा राम चौहान)
अपर जिलाधिकारी,(वि0/रा0)
नैनीताल।

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को उनके पत्र संख्या 958/छब्बीस–3/2024–25 दिनांक 17 मार्च, 2025 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल, मा. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, प्रिन्सपल बैंच, नई दिल्ली को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. श्री आर्दश चमोली, पैनल एडवोकेट, चैम्बर नं0–5, लॉयर चैम्बर्स, ब्लॉक–1 दिल्ली हाई कोर्ट, नई दिल्ली, पिन–11001 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्तानुसार तथ्यों से मा. प्राधिकरण को अवगत करवाते हुए प्रकरण का निस्तारण करवाये जाने का कष्ट करें।
4. सदस्य सविच, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
5. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली।

अपर जिलाधिकारी,(वि0/रा0)
नैनीताल।

कार्यालय
उत्तराखण्ड राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण

गौरादेवी पर्यावरण भवन, 46–बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
ई–मेल–dir.seccduk@gmail.com

पत्रांक– /आर्द्रभूमि/2025–26 दिनांक– 01 .04.2025

सेवा में,

1. **जिलाधिकारी,** नैनीताल/**अध्यक्ष,** जिला स्तरीय तकनीकी समिति।
2. **प्रभागीय वनाधिकारी,** नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल/**सदस्य सचिव,** जिला स्तरीय तकनीकी समिति।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्याः 1335/2024 हेमन्त सिंह गोनिया बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के संबंध में।

महोदय,

विषयगत के क्रम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा नैनी झील शहर में स्थित नैनी झील के संबंध में स्टेट वेटलैण्ड अथॉरिटी का अभिमत अपेक्षा की गई है। वर्तमान में नैनी झील को आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबन्ध) नियम, 2017 के अन्तर्गत वेटलैण्ड के रूप में अधिसूचित नहीं की गई है।

उक्त के क्रम में आपसे अपेक्षा है कि नैनी झील को वेटलैण्ड के रूप में अधिसूचित करने के संबंध में सुविचारित प्रस्ताव प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि राज्य स्तर पर परीक्षण कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकें। आपसे यह भी अपेक्षा है कि नैनी झील का Zone of Influence एवं Wise Use के संबंध में भी जिला स्तरीय समिति का सुविचारित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 एस0पी0 सुबुद्धि)
सचिव, राज्य स्तरीय तकनीकी समिति।

पत्रांक – १२०/T-१५ / आर्द्रभूमि /2025-26 दिनांकित।

प्रतिलिपि : **अपर सचिव,** पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र दिनांक 12.03.2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव, राज्य स्तरीय तकनीकी समिति।

प्रेषक,

मेल/स्पीड पोस्ट

आयुक्त,
कुमाऊँ मण्डल,
नैनीताल।

सेवा में,

अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग,
उत्तराखण्ड सचिवालय,
देहरादून।

संख्या 1113 /छब्बीस–3/2024–25 दिनांक 7 अप्रैल, 2025

विषयः **मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 1335/2024, हेमन्त सिंह गौनिया बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, उत्तराखण्ड शासन, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तनन अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवायल देहरादून के पत्र संख्या 191/XXXVIII–1–2025–15(01)2025 दिनांक 12 मार्च, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

(2) अवगत कराना है कि मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ. ए.नं.1335/2024 हेमन्त सिंह गौनिया बनाम उत्तराखण्ड में पारित आदेश दिनांक 25.02.2025 के अंश 3 एवं 5 के आलोक में वांछित सूचना निम्नानुसार हैः–

(3) प्रकरण में नैनीताल झील के गंभीर जल प्रदूषण के सम्बन्ध में मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02.12.2024 द्वारा स्थल का निरीक्षण कर तथ्यात्मक स्थिति हेतु निम्न विभागों की संयुक्त कमेटी का गठन किया गयाः–

1. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
2. केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

(4) उपरोक्तानुसार गठित समित द्वारा दिनांक 27.12.2024 को स्थल निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण आख्या कार्यालय आयुक्त कुमाऊँ मण्डल नैनीताल के पत्र संख्या 549/छब्बीस–3/2024–25 दिनांक 03 जनवरी, 2025 द्वारा रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल, मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिन्सपल बैंच, नई दिल्ली को प्रेषित की गयी। (प्रति संलग्न)

(5) प्रकरण में संयुक्त जॉच कमेटी द्वारा दिनांक 27.12.2024 का स्थल का निरीक्षण कर विभिन्न बिन्दुओं पर जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण हेतु कार्यालय प्रयोगशाला एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला, बोर्ड मुख्यालय देहरादून को प्रेषित किए गये, जिसकी प्राप्त विश्लेषण आख्या संलग्न है।

(6) इसी क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल द्वारा अवगत कराया गया कि नैनीताल झील का नमूना एकत्रण/विश्लेषण मासिक आधार पर

किया जाता है तथा विश्लेषण आख्यायें **मासिक आधार** पर बोर्ड की वेबसाइट में अपलोड की जाती हैं। उक्त विश्लेषण आख्या में नैनीताल झील के जल को बी श्रेणी में रखा गया है। पूर्व में मा. राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 518/2022 विवेक वर्मा बनाम उत्तराखण्ड सरकार में नियुक्त न्यायमित्र के निर्देशानुसार नाला नं. 23 तथा नैनीताल झील की जल गुणवत्ता का नमूना **एकत्रण/विश्लेषण तृतीय पक्ष** मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा भी किया जाता है। तृतीय पक्ष नोयडा टेस्टिंग प्रयोगशाला द्वारा नैनीताल झील के नमूने का विश्लेषण किया गया है। उपरोक्तानुसार क्षेत्रीय कार्यालय, प्रदूषण बोर्ड तथा तृतीय पक्ष की विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न है।

(7) प्रकरण में जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा अपने पत्र संख्या 142/23–स्थानीय निकाय/2024–25 दिनांक 04 अप्रैल, 2025 से अगवत कराया गया है कि कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत नैनीताल नगरीय सीवरेज योजना उत्तराखण्ड जल संस्थान, नैनीताल के अनुरक्षण में है। उक्त सिविर योजना में सीवरेज ओवरफ्लो होने की दशा में विभाग द्वारा समय–समय पर तत्काल सही कराया जाता है। वर्तमान में नैनीताल नगरीय सीवरेज योजना के अन्तर्गत रामलीला ग्राउण्ड मल्लीताल, स्टाफ हाउस, तारा लॉज, रॉयल होटल कम्पाउण्ड, एस.एस.पी. ऑफिस, बी.डी. पाण्डे हॉस्पिटल, ओक लॉज, जू रोड तल्लीताल इत्यादि क्षेत्रों 150 तथा 200 एम.एम. व्यास की सीवर लाईनें अत्यधिक पुरानी एवं जीर्ण–शीर्ण होने के कारण 600 मीटर सीवर लाईन बदली जानी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त नैनीताल नगर के अन्तर्गत उक्त क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों पर 37 नग पुराने क्षतिग्रस्त सीवर मैनहोल चैम्बरों का निर्माण तथा 83 नग पुराने सीवर मैनहोलों की मरम्मत एवं दबे हुए सीवर मैनहोल चैम्बरों को मार्ग की सतह तक ऊँचा उठाये जाने इत्यादि कार्य, 150 से 300 एम.एम. व्यास की 5.80 किलोमीटर सीवर लाईन व 380 नगर सीवर मैनहोल चैम्बरों की सिल्ट की सफाई तत्काल करायी जानी है। जिस हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश दिनांक 30 जनवरी, 2025 से जनपद नैनीताल की नैनीताल शाखा के अन्तर्गत सीवर योजना के सुदृढ़ीकरण कार्यों की योजना की विभागीय टी.एस.सी. द्वारा परीक्षित/संस्तुत कुल लागत रू. 81.31 लाख में से सेंटेज की धनराशि को कम करते हुए रू. 73.66 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रथम किस्त के रूप में रू. 44.196 लाख की धनराशि व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है और उक्त स्वीकृति के सापेक्ष ई–निविदा प्रकिया गतिमान है। नैनीताल नगर के अन्तर्गत 30–40 वर्ष से बिछी हुई पुरानी सीवर लाईन, सीवर मैनहोल चैम्बर, अन्डर साईज सीवर पाईप लाईन को बदला जाना तथा नैनीताल नगर में छूटे भवनों को सीवर लाईनों से जोड़े जाने इत्यादि कार्यों का विस्तृत सर्वे करने उपरान्त उत्तराखण्ड पेयजल निगम, निर्माण शाखा भीमताल द्वारा धनराशि रू. 109.00 करोड़ की डी.पी.आर. तैयार की गई है। उक्त डी.पी.आर. में प्राविधानित कार्य कराये जाने के उपरान्त सम्पूर्ण नैनीताल नगर में सीवरेज व्यवस्था सुदृढ़ हो पायेगी।

(8) उक्त के कम में जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा अवगत कराया गया कि निकाय क्षेत्र में प्रतिदिन डोर टू डोर जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट जो 17 से 20 मी.टन प्रतिदिन जनित होता है, जिसको पृथक्करण कर एकत्रित ठोस अपशिष्ट को ठोस अपशिष्ट निस्तारण स्थल हल्द्वानी काठगोदाम बाई पास रोड, हल्द्वानी में निस्तारित किया जाता है। पालिका द्वारा एकल उपयोगी प्लास्टिक को पूर्ण रूप से प्रतिबाधित किया गया है। निकाय क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट के एकत्र हेतु अनेक स्थलों पर इस्टबिन की स्थापना की गयी है। नगर पालिका परिषद्, नैनीताल

क्षेत्रान्तर्गत नैनीझील में सफाई व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु 01 सुपरवाईजर तथा 05 कार्मिकों की तैनाती की गयी है। नगर पालिका परिषद, नैनीताल द्वारा National Mission on Himalaya Studies (NMHS). An Innovation Approach for the collection Segregation and up cycling of solid waste अमृतम योजना के अन्तर्गत उपशिष्ट निस्तारण हेतु निम्न मशीनें स्थापित की जाने की कार्यवाही गतिमान है।

1- 03 Trommel machines for segregation of mix waste
2- 02 composting machines for waste to compost work
3- 01 waste to fuel plant for turning plastic waste into furnace oil
4- 01 fatka machime for polythene cleaning
5- 01 Shredder machine for shredding plastic waste into small pieces
6- 01 incinator for inciration for RDF

उपरोक्त के सम्बन्ध में 09 जनवरी, 2025 को नगर पालिका परिषद, नैनीताल तथा नगर निगम हल्द्वानी के मध्य अनुबन्ध गठित हो चुका है। नगर पालिका परिषद, नैनीताल द्वारा सफाई व्यवस्था दुरस्त किये जाने हेतु नगर के विभिन्न स्थलों तथा वार्डों में 50 लीटर के 40 (Twin Bin) गीला एवं सूखा कूड़ा हेतु कूड़ेदान स्थापित किये गये हैं। ''उत्तराखण्ड कूड़ा फैंकना तथा थूकना प्रतिषेध अधिनियम–2016'' का उल्लघंन करने पर संबंधितों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की जा रही है। खूले में कूड़ा फैंकने वालो पर निगरानी हेतु 36 स्थलों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित कर मॉनिटरिंग की जा रही हे। पालिका प्रशासन द्वारा कूड़े के एकत्रीकरण/निस्तारण से संबंधित शिकायतों को मय फोटोग्राफ दर्ज करवाने हेतु नागरिकों की सुविधा हेतु एक व्हाट्सएप नम्बर जारी किया गया है। नगर पालिका परिषद, नैनीताल द्वारा एस. डब्लू.एम. नियम 2016 के अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नगर पालिका क्षेत्रान्र्गत पालिका द्वारा 15 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा जागरूकता एवं कूड़ा पृथक्कीकरण अभियान से जोड़ा गया है।

उपरोक्तानुसार आख्या मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा मूल वाद संख्या 1335/2024 हेमन्त सिंह गौनिया बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.02.2025 के अनुपालन में प्रकरण अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दीपक रावत),
आयुक्त।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

ईमेल/स्पीड पोस्ट 1– प्रतिलिपि रजिस्टार ज्यूडिशियल, मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिन्सपल बैंच, नई दिल्ली।

2– प्रतिलिपि आदर्श चमोली, पैनल एडवोकेट, चैम्बर नं.–5 लॉयर चैम्बर, ब्लॉक–1 दिल्ली हाईकोर्ट, नई दिल्ली, 110001 को इस आशय से प्रेषित कि वह उक्त आख्या मा. अधिकरण के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।

(दीपक रावत),
आयुक्त।

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)

UKPCB

Ph No.- 05946-225618, 221532 Web Site-www.ueppcb.uk.gov.in

Ref: UKPCB/ROH/रि०/25/22-07 Dt- 03/04/25

सेवा मे,

जिलाधिकारी महोदया,
जनपद--नैनीताल।

विषयः– मा.राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए.नं 1335/2024 हेमन्त सिंह गौनिया बनाम उत्तराखण्ड सरकार आदि के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल के पत्र संख्याः–236/29–ए0आर0ए0/2024–25 दिनांक–25.03.2025 द्वारा मा.राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए.नं 1335/2024 हेमन्त सिंह गौनिया बनाम उत्तराखण्ड सरकार आदि में पारित आदेश दिनांक 25.02.2025 के सन्दर्भ मे अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन,पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग,देहरादून के पत्र संख्या 191/XXXVIII-1-2025-15(01) 2025 दिनांक 12.03.2025 द्वारा मा. प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अपने–अपने विभाग से सम्बन्धित उक्त वांछित सूचना उपलब्ध कराने के अनुकम में सादर अवगत कराना है की इस कार्यालय द्वारा नैनीताल झील का नमूना एकत्रण/विश्लेषण मासिक आधार पर किया जाता है। जिसकी विश्लेषण आख्यायें मासिक आधार पर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। इसके अतिरिक्त पूर्व मे मा.राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सं0–518/2022 विवेक वर्मा बनाम उत्तराखण्ड सरकार में नियुक्त न्यायमित्र के निर्देशानुसार नाला न0 23 तथा नैनीताल झील की जल गुणवत्ता का नमूना एकत्रण/विश्लेषण तृतीय पक्ष मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा भी किया जाता है। उक्त सूचनाये इस कार्यालय के पत्रांक दिनांक–27.03.2025 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड तथा अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, नैनीताल को पूर्व प्रेषित की जा चुकी है।

उपरोक्त तथ्य समस्त अभिलेखों सहित संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

03/4/2025

(अनुराग नेगी)
क्षेत्रीय अधिकारी